(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

दिलीप कुमार विरानी निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :– 29/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अंहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2024	–: निर्णय :–	

06.06.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 18.03.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/रसद/सू.अ./2024/948 दिनांक 13.05.2024 से न्यायालय को प्रत्यूत्तर एवं अपीलार्थी/प्रार्थी को जवाब प्रेषित किया गया।

4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जावें और आपकों प्राप्त आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करें।

6. निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

प्रेम कुमार व्यास निवासी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (राज०)
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 26 / 2024

जीसीएमएस नं. :– 2024 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2024	–: निर्णय :–	

06.06.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–2 उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या–1 अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 28.03.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / सूचना प्रकोष्ठ / 2024 / 20072 दिनांक 05.06.2024 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 3.4 से 3.6 तक की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया तथा प्रार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 3.1 से 3.3 तक में वांछित सूचना कुल पृष्ठ संख्या 57 की प्रतिलिपि शुल्क राशि नियमानुसार जमा कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 20057 दिनांक 27.04.2024 से अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा कार्यालय में राशि जमा कराये जाने से सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

4. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 482 दिनांक 05.06.2024 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 3.1 एवं 3.4 से 3.6 की सूचना कार्यालय के रजि0 पत्रांक 469 दिनांक 17.05.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित की गई, किन्तु अपीलार्थी के घर पर नहीं मिलने एवं फोन नहीं उठाने के कारण डाक विभाग द्वारा लिफाफा पुनः कार्यालय को लौटा दिया गया।

5. अपीलार्थी उपस्थित जिन्होने परिकथन प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना व्यक्तिशः दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 3.1 से 3.3 से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है एवं आवेदन के बिन्दु संख्या 3.4 से 3.6 की सूचना / जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित किया गया था, परन्तु डाक विभाग द्वारा डाक पुनः कार्यालय में लौटा दिये जाने से अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हुई।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 3.4 से 3.6 में वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रार्थी / अपीलार्थी के व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होने पर, नियमानुसार उपलब्ध करावें तथा प्रार्थी / अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वह निर्णय प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर तैयार सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)
प्रेम कुमार व्यास निवासी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (राज०)
प्रकरण संख्या :— 28 / 2024
जीसीएमएस नं. :— 2024 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

—: निर्णय :—

06.06.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक 28.03.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / सूअनि—2005 / 2024 / 483 दिनांक 05.06.2024 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना / जवाब कार्यालय के पत्रांक 478 दिनांक 30.05.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी / प्रार्थी को प्रेषित की गई, किन्तु डाक विभाग द्वारा Reposed अंकित कर दिनांक 01.06.2024 को पुनः कार्यालय को लौटा दी गई।

4. अपीलार्थी उपस्थित जिन्होने परिकथन प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना व्यक्तिशः दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक सूचना / जवाब प्रेषित किया गया था, परन्तु डाक विभाग द्वारा डाक पुनः कार्यालय में लौटा दिये जाने से अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हुई।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रार्थी / अपीलार्थी के व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होने पर, नियमानुसार उपलब्ध करावें तथा प्रार्थी / अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वह निर्णय प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर तैयार सूचना प्राप्त करें।

6. निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय ... भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा